CRACKDOWN SONBHADRA

प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 22.02.2026

थाना करमा अन्तर्गत जुगनी जंगल में वांछित गौ तस्करों व पुलिस की मुठभेड़ में, 01 नफर वांछित गौ तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद करने के सम्बन्ध में -

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद में गौ-तस्करी, अन्तर्राज्यीय गौ-तस्करों तथा वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.02.2026 को थाना घोरावल व थाना करमा जनपद सोनभद्र पुलिस को थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-30/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत से संबंधित में वांछित पशु तस्कर अपने को छिप छिपाकर थाना करमा अन्तर्गत जुगनी जंगल से भागने के प्रयास में है। उक्त सूचना पर थाना घोरावल, करमा व थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग टीमे बनाकर तत्काल मौके पर पहुँचकर घेराबन्दी की गई। जिसमें अभियुक्तों द्वारा खुद को घिरता देखकर बाइक पर बैठा अभियुक्त द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस बल के उपर फायरिंग शुरु कर दी गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त करन जायसवाल पुत्र विजय शंकर जायसवाल निवासी बछाव पश्चिमपुरा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हो गया तथा दूसरा अभियुक्त सहाबे आलम पुत्र अज्ञात निवासी खुटहनिया थाना करमा जनपद सोनभद्र अन्धेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सीएचसी घोरावल पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.02.2026 को थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम धनसिरिया से पिकअप वाहन संख्या UP65 NT3216 में क्रूरता पूर्वक बाध कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि राजगढ़ पुलिस की घेराबंदी से अभियुक्तों द्वारा कुल 07 राशि गोवंशो से लदा पिकअप को ग्राम धनसिरिया में छोडकर भाग गये थे। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-30/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर, तस्करी में प्रयुक्त वाहन को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा था।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह वाराणसी का रहना वाला है। उन लोगों का एक गिरोह है जो काफी दिनों से गौ तस्करी का काम करते है। पूछताछ में यह भी बताये कि वे लोग दिनांक 21.02.2026 को भी इन 07 राशि गौवंशों को मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास से लादकर ले जाते समय पुलिस द्वारा घेराबंदी कर ग्राम धनसिरिया में 07 गौवंश से लदा पिकअप वाहन को छोड़कर भाग गये थे। इसके पूर्व में भी कई बार ये लोग इसी योजना के तहत ले चुके है। वध के लिए बिहार से पश्चिम बंगाल भेजा जाता है।

<u>पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

करन जायसवाल पुत्र विजय शंकर जायसवाल निवासी बछाव पश्चिमपुरा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण -</u>

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,

<u>वांछित अभियुक्त का विवरण-</u>

सहाबे आलम पुत्र अज्ञात निवासी खुटहनिया थाना करमा जनपद सोनभद्र।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0-111/2023 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
02. मु0अ0सं0-111/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
03. मु0अ0सं0-120/2021 धारा-432, 354बी, 323, 504, 427, भादवि 3(1)डी एस/एटी एक्ट, 67 आईटी एक्ट थाना रोहनिया जनपद वाराणसी।
04. मु0अ0सं0-105/2022 धारा-302, 34 भादवि थाना रोहनिया जनपद सोनभद्र।
05. मु0अ0सं0-208/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रोहनिया जनपद सोनभद्र।

<u>पुलिस मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस टीम-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश सिंह, मय हमराह थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
2.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश सिंह, मय हमराह थाना करमा जनपद सोनभद्र।
3.प्रभारी निरीक्षक श्री वेद प्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर।